कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रांची

आदेश

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

रांची जिला अन्तर्गत सभी बीस प्रखण्डों में 2,07,187 बी०पी०एल० परिवारों को लेमिनेटेड बी०पी०एल० कार्ड/स्मार्ट फोटो दिया जाना है। बी०पी०एल० परिवारों को बी०पी०एल० कार्ड उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. बी०पी०एल० कार्ड का नमूना -

मुख्य पृष्ठ

झारखण्ड सरकार

बी०पी०एल० कार्ड

(अहस्तान्तणीय)

कार्डधारी का फोटो

बी०पी०एल० कार्ड संख्या ....

कार्डधारी का नाम ....

गांव का नाम ....

पंचायत ....

प्रखण्ड ....

जिला ....

हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

जारी करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

पिछला पृष्ठ

बी०पी०एल० परिवारों के सदस्यों की सूची

क्र०सं०	नाम	उम्र	कार्डधारी से संबंध

नोट : इस कार्ड के खो जाने/मिल जाने पर कृपया जारी करने वाले पदाधिकारी को सूचित/वापस कर दिया जाय।

<u>शर्त्ते</u>

1. अल्पकालीन निविदा मुहरबंद लिफाफे में ही स्वीकार होगी तथा उक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए-बी॰पी॰एल॰कार्ड मुद्रण हेतु अल्पकालीन निविदा।
2. निविदा उप विकास आयुक्त -सह-प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची के पदनाम से दिनांक 15.3.2007 को 3.00 बजे अपराह्न तक स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा के साथ 50,000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, रांची के पदनाम से जमानत के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
4. अल्पकालीन निविदा दिनांक 15.3.2007 को 4.00 बजे अपराह्न जिला स्तरीय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने समय निविदाकर्त्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. बी॰पी॰एल कार्ड मुद्रण हेतु निविदाकर्त्ता स्थानीय होना चाहिए।
6. बी॰पी॰एल कार्ड का मुद्रण मोटे एवं अच्छी गुणवता के कार्ड पर होनी चाहिए। कार्ड का आकार पैन कार्ड के आकार के बराबर होगा, जिसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रांची से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
7. निविदादाता अपनी निविदा के साथ फर्म की निबंधन संख्या, आफसेट प्रिंटर है या नहीं, बिक्री कर आय कर एवं बैट भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र देगें।
8. निविदा स्वीकृति के उपरांत मुद्रण कार्य स्वीकार नही करने वाले निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी तथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
9. कार्य प्रारंभ करने के लिए कोई अग्रिम राशि नही दिया जायेगा, अंतिम रूप से कार्ड का आपूर्ति के उपरांत एक मुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा।
10. बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा दर सभी तरह के कर सहित होगी और उसमें कार्ड/मुद्रण/लेमिनेशन सन्निहित होगा एवं संबंधित प्रखण्डों में पहुँचाना आवश्यक होगा।

ह॰/-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
रांची।